रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2597] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 28, 2016/कार्तिक 6, 1938
No. 2597] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 28, 2016/KARTIKA 6, 1938

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2016

का. आ. 3348 (अ) .–केन्द्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 5 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि चीनी का कोई भी व्यौहारी, किसी भी समय चीनी का कोई स्टाक, ऐसे स्टाक के प्राप्त करने की तारीख से तीस दिन से अधिक की अवधि के लिए नहीं रखेगा और किसी भी समय, स्टाक की, नीचे वर्णित स्थानों में, प्रत्येक के सामने उल्लिखित मात्रा से अधिक नहीं रखेगा--

(i) कोलकाता और विस्तारित क्षेत्र में :
व्यौहारी, जो पश्चिम बंगाल के बाहर से चीनी को लाते हैं - 10,000 क्विंटल;

(ii) अन्य स्थानों में – 5000 क्विंटल :

परन्तु इस आदेश की कोई बात, निम्नलिखित द्वारा धारण या रखे गए चीनी के स्टाक पर लागू नहीं होगी-

(i) सरकारी खाते में; या

(ii) किसी राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यौहारियों द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए रखा गया स्टाक ; या

(iii) भारतीय खाद्य निगम द्वारा रखा गया स्टाक ।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों को भी इस आदेश को लागू करने के लिए प्राधिकृत करती है।

स्पष्टीकरण--इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,-

(i) "कोलकाता और विस्तारित क्षेत्र" से पश्चिम बंगाल सरकार की अधिसूचना सं. 7752/एफएस/एफ.5/14आर92/61, तारीख 16 दिसम्बर, 1964 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(ii) स्टाक धारण करने की अवधि की गणना के लिए, वह तारीख, जिसको व्यौहारी द्वारा कोई स्टाक प्राप्त किया जाता है, सम्मिलित की जाएगी ;

(iii) "व्यौहारी" में, वे सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं, जो चीनी व्यापार चैनल में चीनी के कारख़ाना अहाते से परिदान के पश्चात उपभोक्ताओं द्वारा उसकी प्राप्ति तक शामिल हैं।

2. यह आदेश 29 अक्तूबर, 2016 से प्रभावी होगा और 28 अप्रैल, 2017 तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

[फा. सं.1 [6]/2016-एसपी- I]

जी. एस. साहू, निदेशक (शर्करा नीति)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION)

ORDER

New Delhi, the 28th October, 2016

S.O. 3348 (E). – In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with clause 5 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby directs that no dealer of sugar shall hold any stock for a period exceeding thirty days from the date of receipt by him of such stock and shall not keep sugar in stock at any time, in the places mentioned below, in excess of the quantities mentioned against each-

(i) in Kolkata and extended area :
Dealers who bring sugar from outside West Bengal – 10000 quintals;
(ii) in other places – 5000 quintals:

Provided that nothing in this order shall apply to the holding or keeping of stock of sugar –

(i) on Government account; or
(ii) by the dealers nominated by State Government or an officer authorised by it to hold stock for distribution through fair price shops under the Public Distribution System ; or
(iii) by the Food Corporation of India.

Further, in exercise of powers conferred by clause 15 of the Sugar (Control) Order, 1966 the Central Government also authorises the State Governments and the Union territory Administrations to enforce this order.

Explanation. - For the purpose of this notification, -

(i) "Kolkata and extended area" means the area specified in the schedule to the notification of the Government of West Bengal No. 7752/FS/F.5/14R92/61 dated the 16th December, 1964;
(ii) for counting the period of holding of the stock, the date on which any stock is received by the dealer shall be included;
(iii) "dealer" includes all persons involved in the sugar trade channel after sugar is delivered from the factory premises and till it is received by the consumers.

2. This Order shall come into force with effect from the 29th day of October, 2016 and shall remain in force for a period upto 28th day of April, 2017.

[F.No.1[6]/2016-SP-I]

G. S. SAHU, Director (Sugar Policy)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR Digitally signed by HARINDRA KUMAR Date: 2016.10.31 13:37:45 +05'30'